समाचार

सियान सदन एवं ढोढ़ीपारा में खुले वार्ड कार्यालय

(सियान सदन में वार्ड क्र. 20, 21 एवं 25 के लिए तथा ढोढ़ीपारा में वार्ड क्र. 14, 15, 16 के लिए खोले गए वार्ड कार्यालय)

कोरबा 15 अक्टूबर 2019 –मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के तहत वार्ड क्र. 20, 21 एवं 25 के लिए घंटाघर स्थित सियान सदन में वार्ड कार्यालय खोला गया, इसी प्रकार वार्ड क्र. 14, 15, 16 के लिए ढोढ़ीपारा में वार्ड कार्यालय बनाया गया। पार्षद डॉ.मनहरणलाल राठौर एवं नेमा देवांगन ने सियान सदन स्थित वार्ड कार्यालय का शुभारंभ कराया, वहीं मेयर इन काउंसिल सदस्य मनकराम साहू एवं रामगोपाल यादव ने ढोढ़ीपारा में फीता काटकर वार्ड कार्यालय की शुरूआत की।

प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजनांतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय खोले जाने की शुरूआत गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर को की गई थी। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजनांतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में भी वार्ड कार्यालय खोले जाने का शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर को महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल के द्वारा किया गया था तथा उक्त तिथि को निगम क्षेत्र में 08 वार्ड कार्यालय खोले गए थे। आयुक्त श्री राहुल देव के निर्देशन में शेष वार्ड कार्यालयों को खोले जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर क्रमशः वार्ड कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोसाबाड़ी जोनांतर्गत घंटाघर स्थित सियान सदन में वार्ड कार्यालय का शुभारंभ किया गया, वहीं टी.पी.नगर जोनांतर्गत ढोढ़ीपारा में भी वार्ड कार्यालय की शुरूआत कराई गई। इस अवसर पर शैलेन्द्र सिंह पप्पी, महेन्द्र देवांगन, निगम के कार्यपालन अभियंता ए.के.शर्मा एवं आर.के. चौबे, सहायक अभियंता तपन तिवारी एवं एन.के.नाथ, योगेन्द्र देवांगन, अंजूलता तिग्गा, विनोद कुमार आदि के साथ निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं आमनागरिकगण उपस्थित थे।

वार्ड कार्यालय में उपलब्ध सेवाएं– इन वार्ड कार्यालयों में विभिन्न सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इन वार्ड कार्यालयों के माध्यम से सम्पत्तिकर एवं अन्य समस्त करों की मांग पंजी का संधारण एवं कर वसूली व इससे संबंधित समस्याओं का निराकरण, जल प्रदाय कनेक्शन से संबंधित आवेदन पंजीकृत करना व नल कनेक्शन हेतु उचित कार्यवाही सक्षम स्तर से सम्पन्न कराना, जल प्रदाय संबंधित पाईप लाईन, संधारण एवं जल प्रदाय के सभी विषयों का निराकरण, वार्ड कार्यालय के क्षेत्र में आवश्यकतानुसार मांग पर वाटर टैंकर राशि जमा कराकर उपलब्ध कराना, साफ–सफाई एवं स्वच्छता से संबंधित सभी समस्याओं व समस्याओं का तत्काल निराकरण, सड़क संधारण, नाली संधारण एवं सड़क रोशनी संधारण से संबंधित शिकायतों का निराकरण, गुमाश्ता लाईसेंस एवं अन्य आवश्यक अनुमति व अनुज्ञा के संबंध में आवेदन प्राप्त करना निराकरण कराना व इस कार्य में वांछित दस्तावेजों की आवेदन सहित जानकारी उपलब्ध कराना, वार्ड कार्यालय के क्षेत्र में आने वाले सामुदायिक भवन का निर्धारित किराया जमा कराकर प्रथम आया प्रथम पाया आधार पर आरक्षण करना, सेप्टिक टैंक सफाई हेतु आवेदन पर क्रमानुसार प्रथम आया प्रथम पाया सेवाएं उपलब्ध कराना, वार्ड कार्यालय के क्षेत्र में नए निर्माण कार्यो की मांग का परीक्षण कर प्रथम चरण प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करना तथा छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना प्रमुख है।